## <u>न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> <u>जिला बैत्ल</u>

दांडिक प्रकरण क :-51 / 18 संस्थापन दिनांक:-12 / 03 / 18 फाईलिंग नं. 147 / 2018

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला–बैतूल (म.प्र.)

..... अभियोजन

### वि रू द्ध

शकुंतला पति ओंकेश जैसवार, उम्र 32 वर्ष निवासी वार्ड नं. 12 आमला, थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....<u>अभियुक्त</u>

# <u>-: (नि र्ण य ) :-</u>

## (आज दिनांक 12.03.20018 को घोषित)

- प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 324 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 25.02.2018 को समय करीब 03:30 बजे, थाना आमला से 02 किमी पूर्व में फरियादी के मकान की छत वार्ड क. 12 आमला में फरियादी आरती के साथ मारपीट कर उसे धारदार दांत से कांटकर स्वेच्छया उपहति कारित की।
- 2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 23. 02.2018 को समय 2—3 बजे उसके घर पर थी। तभी अभियुक्त ने पुरानी रंजिश पर से उसे डंडे से उसके हाथ, पीठ, सिर पर मार तथा बांये हाथ में दांत से काट दिया। अभियुक्त ने उसे उसे रंडी, छिनाल, जैसी गंदी गंदी गालियां दी। फरियादी द्वारा अभियुक्त को गाली देने से मना करने पर अभियुक्त ने उसे जान से खत्म करने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 84/18 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त से एक डंडा जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। अभियुक्त को न्यायालय में उपस्थित बाबत सूचना पत्र प्रेषित किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

- 3 प्रकरण में फरियादी का अभियुक्त से राजीनामा हो जाने के परिणामस्वरूप अभियुक्त को धारा 294, 506 भाग—दो भा.द.सं के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया गया किन्तु अभियुक्त के विरूद्ध लगे धारा 324 भा0दं0सं0 का आरोप अशमनीय होने से अभियुक्त का विचारण किया गया।
- 4 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। अभियुक्त कथन योग्य साक्ष्य अभिलेख पर नहीं होने से धारा—313 दं०प्र०सं० के अंतर्गत अभियुक्त कथन अंकित नहीं किये गये मात्र मौखिक परीक्षण किया गया जिसमें उसका कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

### 5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

"क्या अभियुक्त ने दिनांक 25.02.2018 को समय करीब 03:30 बजे, थाना आमला से 02 किमी पूर्व में फरियादी के मकान की छत वार्ड क. 12 आमला में फरियादी आरती के साथ मारपीट कर उसे धारदार दांत से कांटकर स्वेच्छया उपहति कारित की?"

### ।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

- 6 आरती (अ.सा.—1) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह प्रकट किया है कि वह अभियुक्त को पहचानती है वह उसकी जेठानी है। इसी माह की 25 तारीख को घरेलू बात को लेकर उसका अभियुक्त से विवाद हो गया था और धक्का मुक्की में वह गिर गयी थी वहां पड़ी नुकिली वस्तु से टकरा गयी थी जिससे उसके हाथ में चोट आयी थी। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने घटना की रिपोर्ट (प्रदर्श पी—1) थाने में की थी तथा पुलिस ने मौका नक्शा (प्रदर्श पी—2) तैयार किया था। साक्षी द्वारा अभियोजन का पूर्ण समर्थन न करने के कारण साक्षी से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात को गलत बताया है कि अभियुक्त ने उसके हाथ में काट दिया था। स्वतः में साक्षी ने व्यक्त किया है कि धक्का लगने से गिरने से उसे चोट आयी थी। साक्षी आरती (अ.सा.—1) ने अभियुक्त द्वारा उसे दांत से काटकर उपहित पहुंचाये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किये है। उक्त साक्षी ने अभियुक्त से केवल घरेलू बात को लेकर वाद विवाद होने एवं विवाद में गिरने से उसे चोट आने के संबंध में कथन किये हैं।
- 7 अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त द्वारा फरियादी के साथ घरेलू बात पर से विवाद करना प्रमाणित होता है जिसके संबंध में अभियुक्त को राजीनामा आवेदन स्वीकार कर दोषमुक्त किया जा चुका है। अभियुक्त द्वारा

फरियादी को दांत से काटकर चोट पहुंचाई गयी हो ऐसा उपलब्ध साक्ष्य से प्रकट नहीं होता है। फलतः युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने फरियादी आरती को मारपीट कर उसे धारदार दांत से कांटकर स्वेच्छया उपहित कारित की। निष्कर्षतः अभियुक्त शकुंतला को धारा 324 भा.दं.सं. के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

- 8 प्रकरण में जप्त सुदा डंडा अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट किया जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।
- 9 अभियुक्त के मुचलके 437-ए दं.प्र.सं. हेतु 6 माह के लिए विस्तारित किये जाते हैं। उसके पश्चात स्वतः निरस्त समझे जावेंगे।
- 10 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित । मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)